न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 51 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना जिला बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम श्री बाबा रामेदव मेघवाल समाज सेवा संस्थान पंउ जरिये अध्यक्ष मकाराम पुत्र श्री केशाराम जाति मेघवाल निवासी सिणेर तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर सिवाना के राजस्व वाद संख्या 65 / 2021 बअनवान श्री बाबा रामदेव मेघवाल समाज सेवा संस्था बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.03.2022 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. राजकीय अभिभाषक श्री हरीराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री कैलाश पुरी रेस्पोडेंटस की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—12.10.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वाद बावत अधिकार घोषणा व रेकर्ड दूरस्ती का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया। सरहद मौजा पंऊ पटवार मण्डल पंऊ तहसील सिवाना की राजस्व सीमा में खेत खसरा नम्बर 28 रकबा 2.9785 हैक्टयर अवस्थित है। जिसमें प्राचीन काल से बाबा रामदेव जी का मन्दिर बना हुआ है, उक्त खसरान की सम्पूर्ण भूमि पर बाबा रामदेव जी का मन्दिर व बगीची तथा समाज का भवन व तामीरात जिस पर समाज का आधिपत्य है, मन्दिर व बगीची पूर्ण रूप से हमारे समाज के रजिस्टर्ड संस्था द्वारा संचालित की जा रही है। उक्त खसरान की भूमि पूर्ण रूप से मन्दिर हेतु आरक्षित है व ग्राम पंचायत पंउ द्वारा अनापति प्रमाण पत्र जारी कर बाबा रामदेव मन्दिर मेघवाल समाज हेतु दी हुई है, उक्त भूमि बाबा रामदेव सेवा संस्थान की निजी है उपरान्त भी हल्का पटवारी द्वारा समाज के नाम की खातेदारी में दर्ज न कर, राजस्थान सरकार के नाम से ही रखी गई है, उक्त भूमि को सेवा संस्थान के नाम दर्ज करने हेतु तहसीलदार सिवाना को निवेदन किया व ज्ञापन प्रस्तुत किया, लेकिन उक्त दुरस्ती न कर, राजस्थान सरकार गैर मुमकिन मन्दिर के नाम दर्ज है, जिसको दुरस्त करवाने हेतु हस्तगत वाद पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में विधि में दिये प्रावधानों, प्रक्रिया व तथ्यों सहित राजस्व नियमों में दी गयी प्रक्रिया को

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

नजरअंदाज कर विधि द्वारा सुस्थापित सिद्धांतों व नियमों से परे जाकर विधि व तथ्यों के विपरित अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.07.2021 को वाद राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना के विरूद्ध पेश किया गया है, जबकि वादी मुख्यत अनुतोष शाश्वत नाबालिग पक्षकार मन्दिर से पाना चाहता है तथा राजस्व रेकर्ड में भी वादग्रस्त भूमि मन्दिर के नाम दर्ज है, जिनके विधिक संरक्षक देवस्थान विभाग है, इसलिए उक्त वाद में शाश्वत नाबालिग पक्षकार मन्दिर जरिये देवस्थान विभाग बाड़मेर को पक्षकार बनाये विना वाद में पक्षकारों का कुसंयोजन है, वादी ने बाला बाला वादग्रस्त आराजी हड़पने के लिए पक्षकारों का कुसंयोजन कर पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त तथ्य पर मौन रहकर शाश्वत नाबालिग पक्षकार मन्दिर के विरूद्ध व राज्य सरकार के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। राज्य सरकार के विरूद्ध प्रस्तुत वाद में जिला कलेक्टर को पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाना आज्ञापक है, एवं प्रत्येक हितवद्ध पक्षकार का सहयोजन विधिक रूप से आवश्यक है के बावजूद वादी ने जानबूझकर पक्षकारों का सही ढंग से संयोजन नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी के दबाव में आकर विना वादी द्वारा मांगे ही मौका रिपोर्ट अपने स्तर पर ही वादी के पक्ष में साक्ष्य निर्मित करने के उद्देश्य से पत्रावली पर लेकर उस रिपोर्ट को ही प्रतिवादी का जवावदावा दर्शाकर, प्रतिवादी की बिना तामिली ही उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। अपीलाधीन आराजी पर वादी का कोई कब्जा काश्त नहीं है। अधीनरथ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनरथ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये विना पारित किया गया। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

रेस्पोडेंटस के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि संस्था की तरफ से दावा किया गया है। अपीलाधीन आराजी आज भी मन्दिर के नाम से ही गैर मुमकिन मन्दिर दर्ज है। अपीलाधीन आराजी पर निर्मित मन्दिर में विद्युत, पानी की देखरेख मेघवाल समाज द्वारा की जाती है। अपीलाधीन आराजी के संवंध में ग्राम

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पंचायत से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया। राजस्व गांव पंऊ तहसील सिवाना की राजस्व सीमा में अपीलाधीन आराजी अवस्थित है। उक्त भूमि में प्राचीन काल से ही बाबा रामदेव जी का मन्दिर बना हुआ है जो सर्वजातिय समाज के इष्ट व आराध्य देवता है। उक्त खसरान की सम्पूर्ण भूमि पर बाबा रामदेव जी का मन्दिर व बगीची तथा हमारे समाज का भवन व तामीरात बने हुये है जिस पर मेघवाल समाज का आधिपत्य है उक्त मंन्दिर व बगेची पूर्ण रूप से मेघवाल समाज के रजिस्टर्ड संस्था द्वारा संचालित की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट की अनुपस्थिति में एकपक्षीय बहस सुनकर पारित की गई जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन आराजी पर मन्दिर वक्त सेटलमेंट से पूर्व बना हुआ है। जबकि संस्थान का उदभव सन 2011 में ही हुआ है। वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा होना मानने योग्य नहीं है। वक्त बन्दोबस्त काबिज व्यक्ति के नाम पर्चा लगान जारी किया गया एवं खातेदारी रेकर्ड कायम किया गया एवं वादी ने ऐसा कोई उपयुक्त दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि वे वक्त सेटलमेंट से आज दिन तक लगातर अपीलाधीन आराजी पर काबिज हो। अपीलाधीन आराजी शाश्वत नाबालिग पक्षकार मन्दिर की बेशकिमती भूमि के संबंध देव स्थान विभाग को पक्षकार नहीं बनाया गया। अपीलाधीन आराजी के संबंध में ग्राम पंचायत पंऊ को अनापति प्रमाण पत्र जारी करने का कोई हक अधिकार नहीं है। अपीलाधीन आराजी की खातेदार ग्राम पंचायत नहीं है बल्कि राजकीय सिवायचक भूमि है जो खाता नंबर 01 में दर्ज है। प्रदर्श 01 जमाबंदी है जो अपीलांट के पक्ष का दस्तावेज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित वाद विचारण की निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। राज्य सरकार की बैशकिमती भूमि को किसी निजी संस्था को खातेदारी अधिकार दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटस की अपील स्वीकार करने योग्य ठहरती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिवाना के राजस्व वाद संख्या 65/2021 बअनवान श्री बाबा रामदेव मेघवाल समाज सेवा संस्था बनाम सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.03.2022 को अपास्त की जाती है। डिक्री पर्चा अलग से मुर्तिब हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 12.10.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर